



17 वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना  
NOTICE OF 17<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

## वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के शेयरधारकों की सत्तरहवीं वार्षिक साधारण बैठक **शुक्रवार, दिनांक 28 जून, 2019 को प्रातः 11.00 बजे रामा एण्ड सुंदरी वाटूमल ऑडिटोरियम, के. सी. कॉलेज, दिनशॉ वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020** में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

### सामान्य कारोबार

#### मद क्र. 1

दिनांक **31 मार्च, 2019** के तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अंगीकरण हेतु.

### विशेष कारोबार

#### मद क्र. 2

**एफपीओ/ राइट्स/ क्यूआईपी/ अधिमान आबंटन आदि के माध्यम से पूंजी का अर्जन.**

विचारोपरांत उचित पाये जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना.

**"संकल्प किया** कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (**"अधिनियम"**) के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (**"योजना"**) तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम 1998 यथा समय-समय पर संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक (**"आरबीआई"**), भारत सरकार (**"जीओआई"**), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (**"सेबी"**) और/ या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिये आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियम 2018 (**"आईसीडीआर विनियम"**) यथा अद्यतन संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश यदि कोई हों; बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना/ परिपत्र एवं स्पष्टीकरण तथा समय-समय पर लागू अन्य नियमों एवं सेबी (लिरिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियम 2015 (**"लिरिस्टिंग विनियम"**) संबंधित प्राधिकरणों तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, में दर्ज सूचीयन करार के अध्यक्षीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद **"बोर्ड"** कहा जायगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/ की जाने वाली समिति भी शामिल है) को प्रदान की जाए एवं एतद्वारा प्रदान की जाती है कि प्रस्ताव दस्तावेज/प्रास्पेक्टस अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से भारत या भारत से बाहर **रु. 4900 करोड़ (रुपये चार हजार नौ सौ करोड़ मात्र)** के इक्विटी शेयर (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) **जो रु.1763.02 करोड़ (रुपये एक हजार सात सौ तिरसठ एवं दो लाख मात्र)** की वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी सहित **रु. 3000 करोड़ (रुपये तीन हजार करोड़ मात्र)**, जो बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) अथवा भविष्य में अधिनियम के अधीन संशोधन (यदि कोई हो), के द्वारा बढ़ाई गई सीमा के अंदर हो तथा इस प्रकार की किसी भी स्थिति में केंद्र

सरकार की अंशधारिता बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो, चाहे बाजार मूल्य से छूट पर अथवा प्रीमियम पर तथा एक या अधिक अवसरों पर, एक अथवा अधिक शेयरधारकों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (**"एनआरआई"**), निजी अथवा सार्वजनिक कंपनियों, विनिवेश संस्थाओं, समितियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (**"क्यूआईबी"**), विदेशी संस्थागत निवेशकों (**"एफआईआई"**), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्युचुअल फंडों, उद्यम पूंजी निधियों, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या अन्य किसी संवर्ग के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपर्युक्त दोनों के किसी संयोजन, जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु अधिकृत हैं, को पूंजी का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन और/या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) किया जाए.

**"पुनः संकल्प किया** कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम (यथा अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और/ या अधिकार निर्गम और/ या निजी स्थापन, अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन, अधि आबंटन विकल्प सहित या रहित के जरिए होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थापन या आबंटन, अधिनियम आईसीडीआर विनियम, लिरिस्टिंग विनियम तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, के प्रावधानों के अनुसार किया जाए."

**"पुनः संकल्प किया** कि बोर्ड को अधिकार होगा कि वह निर्गम ऐसे मूल्य या मूल्यों पर इस प्रकार से और यदि आवश्यक हो, तो लीड मैनेजरों और/या अंडरराइटर्स और/ या अन्य परामर्शदाताओं या अन्यथा के परामर्श से अपने पूर्ण विवेकानुसार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर तथा आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों और लागू अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अधीन ऐसे मूल्य या मूल्यों पर जारी करे, जो आईसीडीआर विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो; चाहे ऐसे निवेशक (गण) बैंक के विद्यमान शेयरधारक हों या नहीं."

**"पुनः संकल्प किया** कि संबंधित शेयर बाजार के साथ किए गए लिरिस्टिंग करारों, अधिनियम के प्रावधानों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम 1998 के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण व निर्गम) विनियम, 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), शेयर बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी), वित्त मंत्रालय तथा अन्य सभी अपेक्षित प्राधिकारी वर्ग (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप में "सम्यक प्राधिकारी" कहा जाएगा) तथा उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरीयां (जिन्हें इसके बाद "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अध्यक्षीन बोर्ड, स्थापन दस्तावेज और/ या ऐसे अन्य दस्तावेजों/ लेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के जरिये तथा समय-समय पर एक या अधिक अवसरों पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जिन्हें आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VI में परिभाषित किया गया है), को अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI में उल्लेख है, के अनुसार

आईसीडीआर विनियमों के या उस समय प्रचलित कानूनों के अन्य प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों एवं निबंधनों के तहत ऐसे मूल्य एवं तरीके से इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (वारंटों को छोड़कर), जो बाद में इक्विटी शेयरों के बदले परिवर्तनीय हैं, का बोर्ड अपने सम्यक विवेक से इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन कर सकता है कि किसी भी समय भारत सरकार की धारिता बैंक की इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो."

**"पुनः संकल्प किया** कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार पात्र संस्थागत स्थापन के मामले में:

- प्रतिभूतियों का आबंटन केवल आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अन्तर्गत परिभाषित पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा. ये प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा.
- आईसीडीआर विनियमन के विनियम 176(1) के प्रावधान के अनुक्रम में बैंक, विनियमों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम 5 प्रतिशत से अनाधिक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने हेतु अधिकृत है.
- प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबद्ध तारीख आईसीडीआर विनियम के अनुसार होगी."

**"पुनः संकल्प किया** कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आबंटन एवं सूचीयन अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय उनके द्वारा वांछित संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार बोर्ड के पास निहित होगा."

**"पुनः संकल्प किया** कि एनआरआई/एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नये इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम और आबंटन, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन अधिनियम द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के अध्याधीन होगा."

**"पुनः संकल्प किया** कि जारी किये जाने वाले नए इक्विटी शेयर यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 समय-समय पर यथा संशोधित (विनियमन) के अध्याधीन तथा बैंक के मौजूदा शेयरों के समरूप होंगे एवं लाभांश की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप लाभांश, यदि कोई है, के लिये पात्र होंगे."

**"पुनः संकल्प किया** कि इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम या आबंटन करने के लिये बोर्ड को निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, सहित सार्वजनिक निर्गम की शर्तें निर्धारित करने तथा ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और काम निपटाने तथा ऐसे कार्य, दस्तावेज एवं करार निष्पादित करने, जिसे वह अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन तथा निर्गम राशि के उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने या उन्हें निपटाने के अनुदेश या निर्देश जारी करने तथा अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में ठीक एवं उचित माने जाने वाले निबंधनों व शर्तों, जो भी हों, में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल, विलोपन तथा परिवर्धन आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाए और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है."

**"पुनः संकल्प किया** कि बोर्ड यथा आवश्यक इक्विटी/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव के लिये बुक रनर, लीड मैनेजर, बैंकर्स, अंडरराइटर, डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार, लेखापरीक्षक तथा अन्य ऐसी एजेंसियों, जो इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों के प्रस्ताव संबंधी कार्य में शामिल हों, को कमीशन, दलाली, शुल्क या ऐसे अन्य प्रभार के भुगतान हेतु ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिये बोर्ड को अधिकृत किया जाय एवं एतद्वारा ऐसा किया जाता है."

**"पुनः संकल्प किया** कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये लीड मैनेजरों, अंडरराइटरों, परामर्शदाताओं और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से बोर्ड को निर्गम की शर्तें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं किया जाता है, जिसमें निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, का निर्धारण, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/ प्रतिभूतियों का कंवर्जन/ वारंट की प्रक्रिया/ प्रतिभूतियों का शोधन (रिडेम्प्शन), ब्याज दर, शोधन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या शोधन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम/ कंवर्जन पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, कंवर्जन की अवधि, रिकार्ड तिथि या बुक क्लोजर एवं अन्य संबंधित प्रासंगिक मामलों का निर्धारण, भारत और/या विदेश में एक या अधिक शेयर बाजारों में लिस्टिंग, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, आदि शर्तों का निर्धारण शामिल है."

**"पुनः संकल्प किया** कि इनमें से ऐसे शेयर/प्रतिभूतियां, जो अभिदत्त नहीं हुए हैं, को बोर्ड अपने सम्यक विवेक, जिसे बोर्ड उचित समझे तथा विधि सम्मत तरीके से निस्तारित कर सकता है."

**"पुनः संकल्प किया** कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुनः ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतद्वारा अधिकृत किया जाता है."

**"पुनः संकल्प किया** कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त सभी प्राधिकार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/निदेशकों की समिति को पूंजी निधि एकत्रित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं एतद्वारा अधिकृत किया जाता है."

निदेशक मंडल के आदेशानुसार  
कृते यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया

(राजाकिरण रे जो.)  
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 15 मई, 2019

## नोट:

### 1) व्याख्यात्मक विवरण

बैठक की कारोबार कार्यसूची क्रमांक 02 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

### 2) परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्वयं के स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी को छोड़कर) उपस्थित रहने व वोट देने हेतु परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैंक) विनियम 1998 के विनियम 70(vi) के अनुसार परोक्षी प्रपत्र प्रदान करने वाला व्यक्ति उस बैठक में, जिससे संबंधित प्रपत्र है, व्यक्तिगत रूप से वोट देने का हकदार नहीं होगा। वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक फार्म 'बी' के अलावा परोक्षी का अन्य कोई भी प्रपत्र वैध नहीं होगा।

परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में **कंपनी सचिव को निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12वां माला, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021** के पते पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, 21 जून, 2019** को बैंक के कार्य-समाप्ति पर **सायं 5.00 बजे** तक या उससे पूर्व मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र, यदि कोई है, तो उसके साथ, जिसके अन्तर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस मुख्तारनामा की प्रति अथवा अन्य अधिकार पत्र, जिसे पब्लिक नोटरी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया हो, जब तक कि इस प्रकार के मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र को बैंक के पास पूर्व में ही जमा और पंजीकृत न किया गया हो, अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

### 3) प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम, जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में, उक्त पते पर बैठक की तिथि से **कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् शुक्रवार, 21 जून, 2019 को कार्य-समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे** तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो।

### 4) उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस रिपोर्ट के साथ, पहले से ही छपे हुए अपेक्षित ब्यौरे, ई-वोटिंग लॉग-इन आईडी व पासवर्ड के साथ, प्रेषित किया गया है। शेयरधारकों को यह विकल्प है कि वे ई-वोटिंग प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं। लेकिन जो शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं, वे एजीएम की तिथि पर, बैठक के स्थान पर आयोजित होने वाली निर्वाचन प्रक्रिया में अपना वोट डाल सकते हैं। इस प्रकार के शेयरधारकों/ परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची में छपे हुए ब्यौरे का सत्यापन करें और खाली स्थान, यदि कोई है, तो उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द करें। शेयरधारकों के परोक्षी या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा

उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर 'परोक्षी' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाए। उपस्थिति पर्ची एजीएम के स्थान पर प्रवेश के समय सुपुर्द की जाए और उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र को मतदान के समय मतपत्र प्राप्त करने हेतु सुपुर्द किया जाए।

### 5) बुक क्लोजर

शेयर धारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर **शनिवार, दिनांक 22 जून, 2019 से शुक्रवार दिनांक 28 जून, 2019** तक (दोनों दिन मिलाकर) वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य से बंद रहेगा।

### 6) अदावाकृत/अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश पत्र का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश पत्र प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अदत्त लाभांश के लिए बैंक के आरटीए से उक्त पते पर अथवा निवेशक सेवा प्रभाग से संपर्क करें।

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 30 दिनों तक लाभांश अदावाकृत/अदत्त रहने पर 30 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर उन्हें "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित कर दिया जायेगा।

उक्त "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षों तक अदावाकृत/अदत्त रहने पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है। बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 तक के अदत्त लाभांश को आईईपीएफ में पहले ही अंतरित किया जा चुका है। वर्ष 2011-12 से अदत्त लाभांश के ब्यौरे हेतु संबंधित शेयरधारक बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध अदावाकृत लाभांश सर्च सुविधा के लिंक: <https://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomerList.aspx> का अवलोकन कर सकते हैं। अदावाकृत लाभांश की प्रक्रिया तथा अपेक्षित फार्म भी उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध हैं।

### 7) पता/ बैंक ब्यौरा/ बैंक खाता मैडेट में परिवर्तन :

(क) लाभांश का भुगतान करने हेतु बैंक एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डीपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किये गये बैंक खाते के ब्यौरे का उपयोग करेगा। जिन शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखे हुए हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डीपॉजिटरी खाते में रजिस्टर्ड बैंक खाते के विवरणों को संबंधित डीपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए; ताकि बुक क्लोजर प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व इसे अद्यतन किया जा सके। बैंक अथवा इसके शेयर अंतरण एजेन्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे शेयरों के धारकों से बैंक विवरणों अथवा बैंक मैडेट में किसी परिवर्तन हेतु सीधे ही प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। केवल शेयरधारक के डीपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इन परिवर्तन की जानकारी दी जाए।

(ख) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करते हैं, तो इसकी सूचना बैंक के आरटीए को विधिक दस्तावेजी सबूत एवं हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ निम्न पते पर प्रस्तुत करें:

## डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि.

यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  
प्लॉट क्र. बी 5, पार्ट बी,  
एमआईडीसी, क्रॉस लेन, मरोल  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093

- (ग) बैंक खाते का ब्यौरा प्रदान किया जाने वाला फार्मेट वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है तथा बैंक की वेबसाइट [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है.
- (घ) इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करते हैं तो इसकी सूचना केवल अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दें, न कि बैंक अथवा बैंक के आरटीए को.
- (ङ) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के आरटीए के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय संबंधित फोलियो क्रमांक (भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) और संबंधित डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रॉनिक/ डीमेट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें.

### 8) स्थिति में परिवर्तन की रिकॉर्डिंग

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के आरटीए- डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि. को तत्काल सूचित करें:

- क. स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.
- ख. भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरूप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड सहित आदि, यदि पहले न दिया गया हो.

### 9) वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी बैंक में पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनको वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 की हार्ड प्रतियां भारतीय डाक/ कुरियर सेवा द्वारा भेजी जायेंगी तथा जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी बैंक/ डीपी में पंजीकृत करवाया है, उनको सॉफ्ट प्रतियां ई-मेल द्वारा भेजी जायेंगी. बैंक की वेबसाइट पर भी वार्षिक रिपोर्ट को रखा गया है. वार्षिक साधारण बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां बांटी नहीं जाएंगी और इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने साथ वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां साथ लाएं.

### 10) ई-वोटिंग हेतु कट ऑफ तारीख

संशोधित कंपनी नियम (प्रबंधन एवं प्रशासन) 2014 के नियम 20 के अनुसार, कार्यसूची मद संख्या 1 एवं 2 के संबंध में शेयरधारकों को वोट देने का अधिकार **शुक्रवार 21 जून 2019** से माना जाएगा.

### 11) वोट देने का अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, इस समय केंद्र सरकार के अलावा, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, **बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के 10 प्रतिशत** से अधिक के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकारी नहीं होगा.

उपर्युक्त के अधीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन,

1998 के विनियम 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जो **कट ऑफ तारीख अर्थात शुक्रवार, 21 जून 2019** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, प्रत्येक शेयर के लिये एक वोट देने का अधिकारी होगा/होगी.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के लिए, उसका अकेला धारक माना जायगा. इस प्रकार यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही नामांकन करने, बैठक में वोट देने का अधिकारी होगा.

### 12) लेखों की जानकारी

जो शेयरधारक लेखों पर किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि इस हेतु बैंक को लिखें, जो वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्राप्त हो जाना चाहिए; ताकि प्रबंधन द्वारा वह सूचना तैयार रखी जा सके. जवाब केवल वार्षिक साधारण बैठक में ही दिये जाएंगे.

### 13) भौतिक रूप से धारित शेयरों का डिमैटेरियलाइजेशन

शेयरों को भौतिक रूप से धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने शेयरों को डिमैटेरियलाइज रूप में परिवर्तित करायें, जिसके लिए उन्हें अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करना होगा, जहां वे अपना संबंधित डिमेट खाता संचालित कर रहे हैं.

### 14) ई-वोटिंग

- I. सेबी (लिरिंटिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014, यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वार्षिक साधारण बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने और ई-वोटिंग सेवाओं के द्वारा कार्यवाही की सुविधा प्रदान की गई है.
- II. वोटिंग की सुविधा वार्षिक साधारण बैठक में रहेगी और इस बैठक में उपस्थित वे शेयरधारक अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.
- III. जिन शेयरधारकों ने वार्षिक साधारण बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक साधारण बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दोबारा वोट नहीं कर सकेंगे.
- IV. वार्षिक साधारण बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान ("रिमोट ई-वोटिंग") से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तथा बैठक स्थल पर वोटिंग की सुविधा **सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (CDSL)** द्वारा प्रदान की जायेगी.
- V. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **मंगलवार दिनांक 25 जून 2019 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी) से प्रारम्भ होकर गुरुवार, दिनांक 27 जून 2019 (सायं 5.00 बजे आईएसटी)** तक रहेगी. बैंक के शेयरधारक इस अवधि के दौरान, वोटिंग के लिए कट ऑफ तारीख शुक्रवार, 21 जून, 2019 को फिजिकल या डिमैटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, कार्यसूची मद संख्या 1 एवं 2 के लिए रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं. इस अवधि के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को बन्द कर दिया जाएगा. शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी.

VI रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है:

- ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग ऑन करें [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)
- अपना वोट देने के लिए  टैब पर क्लिक करें.
- अब अपना यूजर आईडी एवं इमेज सत्यापन प्रविष्ट करके लॉग इन पर क्लिक करें.

User ID \*

Enter the Characters Displayed \*

163975

[Refresh](#)

Click to use Virtual Keyboard

- सीडीएसएल हेतु : 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,
- एनएसडीएल हेतु : 8 अंकों की क्लाइंट आईडी के बाद 8 अंकों की कैरेक्टर डीपी आईडी,
- भौतिक रूप में शेयर धारिता करने वाले शेयरधारकों को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या प्रविष्ट करनी है.
- यदि आपके शेयर डीमैट रूप में है एवं आपने [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर लॉग-ऑन कर पूर्व वोटिंग में किसी कंपनी या बैंक को वोट कर दिया है, तो आपकी विद्यमान पासवर्ड का उपयोग किया जाएगा.
- यदि आप प्रथम बार उपयोगकर्ता है तो निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

User ID \*

PAN \*

Any one of the details given below has to be mentioned for the first time login. Kindly enter the details as available on the demat account or folio number.

Bank Account Number #

DOB or Date Of Inc. #  (dd/mm/yyyy)

\* Field Mandatory.  
# Any one filed should be mandatorily entered.

पैन	<ul style="list-style-type: none"> <li>आयकर विभाग (डीमैट शेयरधारक के साथ-साथ भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू) द्वारा जारी 10 अंकों के अल्फा-न्यूमैरिक पैन की प्रविष्टि करें.</li> <li>जिन सदस्यों ने अपने पैन कार्ड को बैंक/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि पैन फील्ड अथवा सीडीएसएल द्वारा प्रेषित ईमेल में उल्लिखित उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास में मुद्रित क्रम संख्या का उपयोग करें.</li> </ul>
लाभांश का बैंक विवरण अथवा जन्म-तिथि (डीओबी)	<ul style="list-style-type: none"> <li>लॉग इन करने के लिए, बैंक में अथवा आपके डीमैट खाते में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (दिनांक/माह/वर्ष प्रारूप में) प्रविष्टि करें.</li> <li>यदि डिपॉजिटरी या बैंक में दोनों विवरण दर्ज नहीं हुए हैं, तो कृपया निर्देश (iii) में उल्लिखित लाभांश बैंक विवरण फील्ड के अनुसार सदस्य आईडी / फोलियो संख्या प्रविष्टि करें.</li> </ul>

- इन विवरणों की उचित रूप से प्रविष्टि के बाद 'SUBMIT' टैब पर क्लिक करें.
- इसके बाद भौतिक रूप में शेयर धारित सदस्य सीधे कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे.
- अब डीमैट रूप में शेयर धारित सदस्य 'पासवर्ड क्रिएशन' मेन्यू में जाएं, जिसमें नए पासवर्ड फील्ड में उन्हें अनिवार्यतः अपने लॉग-इन पासवर्ड की प्रविष्टि करनी होगी. कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड का उपयोग डीमैट धारकों द्वारा किसी भी अन्य कंपनी के प्रस्तावों हेतु वोटिंग के लिए किया जाना चाहिए, जिस पर वे वोट देने के पात्र हैं, बशर्ते कंपनी सीडीएसएल के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प दें. **आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें एवं अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें.**

Kindly set a password for your login.

Member Id:

New Password\*:

Confirm Password\*:

Click to use Virtual Keyboard

- (ix) भौतिक रूप में शेयर धारित सदस्यों हेतु, इस सूचना में दिए संकल्पों पर केवल ई-वोटिंग के लिए विवरणों का उपयोग किया जा सकता है।
- (x) "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया" के ईवीएसएन पर क्लिक करें।
- (xi) वोटिंग पृष्ठ पर, आपको "संकल्प विवरण" दिखाई देगा एवं इसी के साथ-साथ वोटिंग विकल्प "हाँ/नहीं" के लिए प्राप्त होगा। स्वेच्छानुसार हाँ या नहीं विकल्प का चयन करें। हाँ विकल्प का अर्थ है कि आप संकल्प से सहमत हैं जबकि नहीं का अर्थ है कि आप संकल्प से असहमत हैं।
- (xii) सम्पूर्ण संकल्प विवरण देखने के लिए "रिसोल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- (xiii) संकल्प चयन के बाद आपको वोट देने का निर्णय करना होगा, और इस हेतु "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए "CANCEL" पर क्लिक करें एवं तदनुसार अपना वोट परिवर्तित करें।
- (xiv) संकल्प पर अपना वोट "पुष्टि" (CONFIRM) करने के बाद आपको वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- (xv) वोटिंग पृष्ठ के "Click here to print" पर क्लिक कर आप दिए गए वोट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
- (xvi) यदि कोई डीमैट खाता धारक अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल गया है, तो उसे अपनी यूजर आईडी एवं छवि सत्यापन कूट प्रविष्टि कर "Forgot Password" पर क्लिक करना होगा एवं सिस्टम द्वारा दिए गए विवरण की प्रविष्टि करनी होगी।

Please enter your details here, only if you are a demat account holder and have registered earlier. If you wish to create a password of your choice, please enter User ID, PAN and DOB or Bank Details.

User ID \*

PAN \*

Email Id #   
Expected : \*\*\*\*\*@\*\*\*\*\*.COM

Mobile No. #   
Expected : \*\*\*\*\*

Bank Account Number #   
Expected : \*\*\*\*\*

DOB or Date of Inc. #  (dd/mm/yyyy)

Enter the Characters Displayed \*   
726527

[Refresh](#)

\* Field Mandatory.  
# Any one field should be mandatorily entered.

- (xvii) शेयर धारक एंड्रोएड आधारित मोबाइलों पर उपलब्ध सीडीएसएल के एम-वोटिंग मोबाइल एप से भी अपना वोट दे सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से एम-वोटिंग एप डाउनलोड किया जा सकता है। एप्पल एवं विंडोज फोन के उपयोगकर्ता क्रमशः एप स्टोर एवं विंडोज फोन स्टोर से इस एप को

डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप से वोट करते समय एप द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।

- (xviii) गैर-वैयक्तिक शेयर धारकों एवं अभिरक्षकों हेतु नोट
- गैर-वैयक्तिक शेयर धारकों (जैसे वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) और अभिरक्षकों को, [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर लॉग ऑन करके स्वयं को कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत कराना अपेक्षित है।
  - संस्था के हस्ताक्षर एवं मुहर सहित पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति को [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) पर ईमेल करें। लॉग-इन विवरण प्राप्त होने के उपरांत एडमिन लॉन इन और पासवर्ड के माध्यम से एक अनुपालन यूजर बनाया जाए जिससे अनुपालन यूजर जिस खाते को वोट देना चाहता है, उसको लिंक करने में सक्षम हो सकें।
  - अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, तो जांचकर्ता द्वारा सत्यापन हेतु सिस्टम में उसकी पीडीएफ प्रति अपलोड की जाए।
- VII. ई-वोटिंग से संबंधित मामले में किसी प्रकार की शंका या पूछताछ होने की दशा में हेल्प सेक्शन में, [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर उपलब्ध "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" (FAQs) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800225533 पर संपर्क किया जा सकता है।
- VIII. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से जुड़े समस्त शिकायतों के लिए श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफ़तलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित कर सकते हैं या [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) पर ईमेल करें या 1800225533 पर कॉल करें।
- IX. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ की तारीख को शेयरहोल्डर के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वहीं व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग द्वारा या बैठक स्थल पर वोटिंग के लिए पात्र होगा।
- X. वोटिंग की जांच करने और रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए, मेसर्स विनय आंगने एण्ड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।
- XI. वार्षिक साधारण बैठक शुरू होने के बाद अध्यक्ष द्वारा वहां उपस्थित उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।
- XII. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक साधारण बैठक में वोटिंग समाप्त होने के उपरांत तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम 48 घंटों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर, यदि कोई हो, बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी।
- 15. वोटिंग के परिणाम :**
- रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक स्थल की वोटिंग के समेकित परिणाम, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in) तथा एनएसडीएल, ई-वोटिंग की वेबसाइट: [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर परिणाम

घोषित होने के तुरंत बाद उपलब्ध करा दिया जायेगा. ये परिणाम तुरन्त स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजे जाएंगे.

#### 16. बैठक में ई-वोटिंग के लिए जांचकर्ता :

ई-वोटिंग के संबंध में जैसा पहले ही इंगित किया है कि कार्यसूची मद संख्या 1-2 के लिए कंपनी सचिव, मेसर्स विनय आंगने एण्ड एसोसिएट्स जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे. वे बैठक में अन्य शेयरधारक के ई-वोटिंग के लिए भी जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे.

#### व्याख्यात्मक विवरण

##### एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी इत्यादि के द्वारा पूंजी का निर्गम:

बासेल-III अधिनियम की अपेक्षानुसार बैंक को 31 मार्च, 2020 तक इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में कॉमन इक्विटी टियर-1 (सीईटी-1) के तहत न्यूनतम 5.5% व पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के रूप में 2.5%, टियर 1 अनुपात (सीसीबी सहित) 9.5% और समग्र सीआरएआर (सीसीबी सहित) को 11.50% बनाये रखना है.

वित्त वर्ष 2020 तक 0.625% पूंजी संरक्षण बफर की बढ़ती अपेक्षाओं, बैंक की भावी विस्तार एवं समृद्धि योजनाओं एवं फलस्वरूप पूंजी प्रभार के कारण पूंजी की बढ़ती अपेक्षाओं के चलते बैंक को अपनी पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है; ताकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सुदृढ़ करते हुए बासेल -III की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके.

विकास अनुमानों के आधार पर आपके निदेशकों ने रु. 4900 करोड़ (रुपये चार हजार नौ सौ करोड़ मात्र) की इक्विटी पूंजी जुटाने का फैसला किया है, जो भारत सरकार द्वारा पूंजी प्रदान किए जाने के साथ-साथ बैंक द्वारा इक्विटी पूंजी जुटाने के विकल्पों जैसे सार्वजनिक निर्गम (फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू) और/या राइट इश्यू और/या पात्र संस्थागत स्थापन सहित निजी स्थापन और/या सरकार तथा दूसरे नियामक प्राधिकरणों और सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अधीन अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है. बढ़ी हुई पूंजी का प्रयोग बैंक के सामान्य कारोबारी उद्देश्य के लिए किया जाएगा.

दिनांक 27 जून, 2018 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में, पब्लिक इश्यू (अर्थात फॉलो-ऑन पब्लिक इश्यू) और/या राइट इश्यू और / या निजी प्लेसमेंट, अर्हता प्राप्त संस्थागत (क्यूआईपी) और/या भारत सरकार या अन्य संस्थाओं को अधिमानी आबंटन और/या किसी अन्य माध्यम से, भारत सरकार और अन्य नियामक प्राधिकरणों और सेबी आईसीडीआर विनियमों से अनुमोदन की शर्त पर, बैंक को रु.6,850/- करोड़ (रुपये छह हजार आठ सौ पचास करोड़ मात्र) तक की इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए शेयर धारकों का अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जो दिनांक 26 जून, 2019 तक वैध है.

बैंक द्वारा मार्च, 2019 में कर्मचारी शेयर खरीद योजना कार्यान्वित करके बैंक के कर्मचारियों को प्रति शेयर रु.77.98 गणना मूल्य पर 25% की छूट के साथ प्रति शेयर रु.58.49 (प्रति शेयर रु.48.49 शेयर प्रीमियम सहित) निर्गम मूल्य के

7,28,80,275 इक्विटी शेयरों के आबंटन द्वारा रु.568.32 करोड़ (रुपये पांच सौ अड़सठ करोड़ एवं बत्तीस लाख मात्र) की इक्विटी पूंजी जुटाई गई है. इसके अतिरिक्त, बैंक ने मार्च 2019 में अधिमानी आधार पर भारत सरकार को प्रति शेयर रु.78.84 के निर्गम मूल्य पर 52,15,62,658 इक्विटी शेयरों (प्रति शेयर रु.68.84 के शेयर प्रीमियम सहित) का आबंटन कर रु.4,112 करोड़ (रुपये चार हजार एक सौ बारह करोड़ मात्र) की इक्विटी पूंजी एकत्रित की है.

भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अब इक्विटी पूंजी को रु. 4900 करोड़ (रुपये चार हजार नौ सौ करोड़ मात्र) तक बढ़ाने की योजना है.

बोर्ड द्वारा लिए गए/लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार कारोबार आस्तियों में बढ़ोत्तरी हेतु बासेल III दिशानिर्देशों के अधीन कारोबार आस्तियों के विस्तार के लिए न्यूनतम पूंजी एवं नियंत्रित अनुपात अपेक्षाओं की प्राप्ति हेतु बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड(पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 के अनुसार यथा तारीख संशोधित एवं इस संबंध में सेबी / भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य लागू विनियम दिशानिर्देशों के अनुसार योग्यता प्राप्त संस्थागत खरीददार (क्यूआईपी) या किसी अन्य अनुमत माध्यम से समान इक्विटी की ऋगाही प्रस्तावित की है. यदि क्यूआईपी के द्वारा प्रतिभूतियों को जारी किया जाना है तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरूप किया जाएगा.

वर्तमान संकल्प प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मंडल उचित समय, माध्यम, प्रीमियम एवं अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी कर सकें.

विशेष संकल्प के अनुरूप प्रस्तावित इक्विटी शेयरों को लागू सभी विधिक प्रावधानों के अनुरूप जारी किया जाएगा.

आपके निदेशक गण इस कार्यसूची की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं.

बैंक के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति एवं उसके रिश्तेदारों को अपनी शेयर धारिता तक, यदि कोई हो, उपर्युक्त संकल्प (पों) से संबद्ध और इच्छुक माना जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार  
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(राजकिरण रै जी.)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 15 मई, 2019

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 17<sup>th</sup> (Seventeenth) Annual General Meeting (“AGM”) of the Shareholders of Union Bank of India (“Bank”) will be held on **Friday, 28<sup>th</sup> June, 2019 at 11.00 A.M.** at **Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020** to transact the following:

### Ordinary Business:

#### Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at **31<sup>st</sup> March 2019**, Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors’ Report on the Balance Sheet and Accounts.

### Special Business:

#### Item No. 2

#### To raise Capital through FPO/Rights/QIP/Preferential allotment etc.

To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following resolution as a Special Resolution:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (“Act”), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (“Scheme”) and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz. SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (“ICDR Regulations”) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”) as amended from time to time, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may

have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto ₹ **4,900 crore (Rupees Four Thousand Nine Hundred Crore Only)** (including premium, if any) which together with the existing Paid-up Equity share capital of ₹ **1,763.02 crore (Rupees One Thousand Seven Hundred Sixty Three Crore and Two Lakhs Only)** will be within ₹ **3,000 crore (Rupees Three Thousand Crore Only)**, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the amendment (if any) that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity Capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the shareholders, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/ or rights issue and/or private placement, including Qualified Institutional Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, ICDR Regulations, Listing Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and/or underwriters and/or other

advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department of Industrial Policy and Promotion - Ministry of Commerce (DIPP), Ministry of Finance and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VI of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

- a) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution.”

- b) The Bank in pursuant to provision of Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the ICDR Regulations.

- c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

## NOTES:

### 1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business agenda no. 2 of the meeting is annexed hereto.

### 2. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy (other than an officer or an employee of the bank) to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a shareholder of the Bank. As per Regulation 70(vi) of Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form “B” as annexed in the Annual Report.

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Committee of Directors for Raising of Capital Funds or the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By order of the Board of Directors  
For UNION BANK OF INDIA



(Rajkiran Rai G.)

Managing Director & CEO

Place : Mumbai

Date : 15<sup>th</sup> May, 2019

The Proxy, in order to be effective, must be received at Central Office of the Bank addressed to **Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 12<sup>th</sup> Floor, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021**, not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at **5.00 p.m. on Friday, 21<sup>st</sup> June, 2019** together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

### 3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is

a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not less than FOUR DAYS before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. **5.00 p.m. on Friday, 21<sup>st</sup> June, 2019.**

#### 4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is also dispatched along with this Report, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using remote e-voting platform. Those who do not exercise remote e-voting facility can cast their vote by using e-voting facility available at the venue of the meeting on the date of the AGM. Such Shareholders/ Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The Attendance Slip-Cum-Entry Pass is to be surrendered at the time of entry to the venue of the AGM.

#### 5. BOOK CLOSURE

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Saturday, 22<sup>nd</sup> June, 2019 to Friday, 28<sup>th</sup> June, 2019** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

#### 6. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / not received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Bank's RTA or Bank's Investors Services Division for payment of unclaimed/unpaid dividend.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, dividend remained unclaimed/unpaid for 30 days from the date of its declaration shall be transferred to the "Unpaid Dividend Account" within 7 days from the date of expiry of such period of 30 days.

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Account" and remained unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established

by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. While the Bank has already transferred unpaid dividend up to FY 2010-11 to IEPF, for the details of unpaid dividend from FY 2011-12, the Shareholders may visit unclaimed dividend search facility made available on Bank's website under following link: <https://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomList.aspx> Procedure to claim unclaimed dividend and requisite forms are also made available on the above link.

#### 7. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE

a) The Bank for payment of dividend uses the details of Bank Account registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant ("DP") so as to get updated before the commencement of the Book closure. The Bank or its RTA cannot act on any request received directly from the shareholders holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the shareholder.

b) Shareholders holding shares in physical form are requested to send formal request application duly signed along with a valid documentary evidence for updation of any change of address and for updation of Bank Account Details send formal request application duly signed along with a cancelled cheque to the Bank's RTA at the following address:

##### **Datamatics Business Solutions Ltd.,**

Unit: Union Bank of India,  
Plot No. B-5, Part B,  
MIDC, Crosslane, Marol,  
Andheri (East),  
Mumbai – 400 093.

c) The format for providing Bank account details is annexed to the Annual Report and is also available on the website of the Bank [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in)

d) Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's RTA.

e) Shareholders are requested to invariably quote

their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's RTA.

## 8. RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the RTA of the Bank – Datamatics Business Solutions Ltd., immediately of:

- a) The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.
- b) The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

## 9. COPIES OF ANNUAL REPORT

Please note that copies of the Annual Report 2018-19 in physical form shall be dispatched using the services of Indian Post/Courier to those Shareholders who have not registered their Email IDs with the Bank and in soft copy by Email to those shareholders who have registered their Email IDs with the Bank/DP. The Annual Report will also be hosted on the website of the Bank. The Annual Report will not be distributed at the AGM and hence shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report at the meeting.

## 10. CUT OFF DATE FOR E-VOTING

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the shareholders in respect of agenda items no. 1 & 2 shall be reckoned as on **Friday, 21<sup>st</sup> June 2019**.

## 11. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank**.

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-Off Date i.e. Friday, 21<sup>st</sup> June 2019** shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any

share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person only is entitled to attend the meeting and is also only eligible to nominate, contest and vote in the Elections.

## 12. INFORMATION ON ACCOUNTS

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the AGM so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the AGM.

## 13. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS


The Shareholders who are holding shares in physical mode are requested to convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account.


## 14. E-VOTING

- I. Pursuant to provisions of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to provide to shareholders the facility to exercise their right to vote at the AGM by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services.
- II. The facility for voting shall also be made available at the venue of the AGM and the shareholders attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through voting at the venue.
- III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") and Voting at the Venue will be provided by **Central Depository Services (India) Limited (CDSL)**.


V. The remote e-voting period commences on **Tuesday, 25<sup>th</sup> June, 2019 (9:00 am IST) and ends on Thursday, 27<sup>th</sup> June, 2019 (5:00 pm IST)**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date of **Friday, 21<sup>st</sup> June, 2019** may cast their vote by remote e-voting for agenda item no. 1 & 2. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once a shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

VI. The process and the manner for remote e-voting are as under:

- (i) Log on to the e-voting website - **www.evotingindia.com**
- (ii) Click on  tab to cast your vote.
- (iii) Now Enter your User ID and the Image Verification as displayed and Click on Login.



- (a) For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
- (b) For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
- (c) Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank
- (iv) If you are holding shares in demat form and had logged on to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and voted on an earlier voting of any company or Bank, then your existing password is to be used.
- (v) If you are a first time user follow the steps given below:



PAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)</li> <li>Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the <b>sequence number which is printed on Attendance Slip cum Entry Pass indicated in the PAN field or provided in the Email sent to you by CDSL.</b></li> </ul>
Dividend Bank Details <b>OR</b> Date of Birth (DOB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in DD/MM/YYYY format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login.</li> <li>If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the shareholder id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii).</li> </ul>

- (vi) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (vii) Shareholders holding shares in Physical Form will then directly reach the Company selection screen.
- (viii) Shareholders holding shares in **Demat Form** will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used

by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**

Kindly set a password for your login.

Member Id:

New Password\*:

Confirm Password\*:

Click to use Virtual Keyboard

- (ix) For Shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (x) Click on the EVSN of “**Union Bank of India.**”
- (xi) On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xii) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiii) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- (xiv) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xv) You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xvi) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

Please enter your details here, only if you are a demat account holder and have registered earlier. If you wish to create a password of your choice, please enter User ID, PAN and DOB or Bank Details.

User ID \*

PAN \*

Email Id #   
Expected : \*\*\*\*\*@\*\*\*\*\*.COM

Mobile No. #   
Expected : \*\*\*\*\*

Bank Account Number #   
Expected : \*\*\*\*\*

DOB or Date of Inc. #  (dd/mm/yyyy)

Enter the Characters Displayed \*

**726527**

[Refresh](#)

\* Field Mandatory.  
# Any one field should be mandatorily entered.

- (xvii) Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.
- (xviii) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and register themselves as Corporate.
  - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).
  - After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
  - The list of accounts linked in the login should be mailed to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
  - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

- VII. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call 1800225533.
- VIII. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25<sup>th</sup> Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call 1800225533.
- IX. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the venue.
- X. M/s Vinay Angane & Associates, Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- XI. The Chairman of the Meeting shall, after commencement of the AGM, allow voting for all those shareholders who are present at the AGM but have not casted their vote by availing the remote e-voting facility.
- XII. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, but not later than 48 hours of the conclusion of the AGM, submit a consolidated scrutinizer’s report of the total votes casted in favour or against, if any, to the Chairman of the Meeting or any other person authorised by him.

## 15. RESULTS OF VOTING

The consolidated results of Remote E-Voting and Voting at the venue alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. [www.unionbankofindia.co.in](http://www.unionbankofindia.co.in) and on the website of CDSL e-voting i.e. [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) immediately after the declaration of result. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

## 16. SCRUTINIZERS FOR E-VOTING AT MEETING

As already indicated for E-Voting, M/s Vinay Angane & Associates, Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of Agenda Items No. 1 & 2.

They shall also act as Scrutinizer along with another shareholder for the E-voting conducted at the Meeting.

## EXPLANATORY STATEMENT

### **ISSUE OF CAPITAL THROUGH FPO/RIGHTS/QIP ETC.**

The Basel III regulations require that the banks should maintain a minimum common equity tier 1 (CET 1) ratio of 5.5% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.5% in the form of Equity Share Capital, Tier 1 ratio (including CCB) of 9.50% and overall CRAR (including CCB) of 11.50% by 31<sup>st</sup> March, 2020.

With the increasing capital requirements on account of increasing requirement of capital conservation buffer of 0.625% in FY 2020, future expansion & growth of the Bank and consequent capital charge, the Bank is required to raise capital for complying the Basel III requirement, growth of the Bank as well as further strengthening the capital adequacy.

Based on the estimated growth your Directors have decided to raise Equity Share Capital up to ₹ **4,900 crore (Rupees Four Thousand Nine Hundred Crore Only)** including capital infusion from the Government of India. The Bank may raise Equity Share Capital through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutional Placements and/or Preferential allotment to the Government of India and/or other Institutions and/or any other mode(s) subject to approval by the Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the SEBI ICDR regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Bank had obtained shareholders approval in the AGM held on 27<sup>th</sup> June, 2018 for raising Equity Share Capital up to ₹ **6,850 crore (Rupees Six Thousand Eight Hundred and Fifty Crore Only)** through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutional Placements and/or preferential allotment to the Government of India and/or other Institutions and/or any other mode(s) subject to approval by the Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the SEBI ICDR regulations, which is valid up to 26<sup>th</sup> June, 2019.

The Bank raised Equity Capital of ₹ **568.32 crore (Rupees Five Hundred Sixty Eight Crore and Thirty Two Lac Only)** by issuance & allotment of 7,28,80,275 equity shares at an issue price of ₹ 58.49 per share (including share premium of ₹ 48.49 per share) at a discount of 25% on the calculated price of ₹ 77.98 per share to the Employees of the Bank pursuant to the Employee

Share Purchase Scheme implemented by the Bank in March, 2019. Further, the Bank raised Equity Capital of ₹ **4,112 crore (Rupees Four Thousand One Hundred and Twelve Crore Only)** by allotment of 52,15,62,658 equity shares on preferential basis to the Government of India at an issue price of ₹ 78.84 per share (including a share premium of ₹ 68.84 per share) in March, 2019.

Keeping in view of future requirements, it has been planned to raise Equity Share Capital up to ₹ **4,900 crore (Rupees Four Thousand Nine Hundred Crore Only)** as indicated above.

In order to meet the Minimum Capital and Leverage Ratio requirements under the BASEL-III guidelines for expansion of business assets, as decided / may be decided by the Board, the Bank proposes to raise common equity by way of Qualified Institutions Placement (QIP) or any other permitted mode in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard. In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The proposed issuance of Equity Shares in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

Your Directors recommend passing of the special resolution as mentioned in the notice for this agenda.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By order of the Board of Directors  
For UNION BANK OF INDIA



(Rajkiran Rai G.)  
Managing Director & CEO

Place : Mumbai

Date : 15<sup>th</sup> May, 2019